

Munger University, Munger (Bihar)

{Estd in 2018 under Bihar State University (Amendment) Act.2016 (Bihar Act-1/2017)} Administrative Block, Shastrinagar, Munger-811201

чяіт :- **Е8+6/88**56/1023

दिनांक :- 02/03/2023

सूचना

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक :-15/एम01-97/2020/3260 दिनांक 23/08/2023 के आलोक में नये संस्थान तथा पुराने संस्थान मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर से शैक्षणिक सत्र 2024-27 में संबंधन के लिए दिनांक 15/09/2023 तक ऑनलाइन पोर्टल www.edusambandhan.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की एक प्रति मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के कार्यालय में भी आवेदन शुल्क और निरीक्षण शुल्क के साथ जमा की जाएगी।

वैसे महाविद्यालय जिनका प्रस्ताव 2023—26 के लिए ऑनलाइन प्राप्त हुआ था किन्तू किसी कारण अबतक उनका सम्बन्धन संसूचित नहीं हुआ है, उन महाविद्यालयों द्वारा भी आवदेन किया जाएगा।

पुलसायव मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

Nitesh Kumar

पत्रांक-15/एम 1-97/2020 3260. शिक्षा विभाग बिहार, पटना

प्रेषक.

डॉ॰ (प्रो०) रेखा क्मारी. निदेशक उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव. राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय बिहार (पटना विश्वविद्यालय, पटना को छोडकर)

पटना, दिनांक 33.8.23

विषयः

शैक्षणिक सत्र 2024-27 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन से संबंधित प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल www.edusambandhan.bih.nic.in के नाध्यम से उपलब्ध कराने के संदंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि विभाग द्वारा स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन के संबंध में पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध प्रस्ताव / अनुशंसा के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को विभागीय पत्रांक-1962 दिनांक-15.09.2021 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संसूचित है।

आप अवगत है कि महाविद्यालयों के संबंधन के संबंध में राज्यपाल संचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना के पत्रांक-1179 दिनांक-25.04.2018 एवं CWJC No.-4660/2017 में दिनांक-26.04 2018 को पारित न्यायादेश में निर्धारित निम्नांकित कार्यक्रम एवं समय सीमा अंतर्गत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है-

| Submission of Application Form | On or before 15th September |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Submission of Application Team | On or before 25th September |
| Constitution of Inspection Team | On or before 8th October |
| Inspection Team Report | On or before 15th October |
| Affiliation Committee Meeting | On or before 20th October |
| Academic Council | On or before 30th October |
| Syndicate | On or before 15th November |
| Senate | On or before 15th January |
| Final Report to the State Govt. | On or before 15 divining |

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निदेशानुसार आप सभी को निदेशित किया जाता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की संगत धारा एवं राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिनियम पत्रांक-1098 दिनांक 19 04.1986, पत्रांक-3196 दिनांक-14.12 2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-

20.10.2019 के आलोक में समीक्षोंपरान्त अपने-अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत स्नातक हिंचियालयों के संबंधन संबंधी ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा को राज्यपाल विद्यालय/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप विद्यालय के सभी सक्षम प्राधिकारों से अनुमोदनोंपरान्त NIC द्वारा विकसित पोर्टल www.edusambandhan.bih.nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्धारित कार्यक्रम एवं समय सीमा अन्तर्गत अपने—अपने विश्वविद्यालय के संबंधन प्रस्ताव को ऑनलाईन पोर्टल के गाध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। निम्न प्रकार के महाविद्यालय द्वारा भी उक्त पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा।

- 1. वैसे सभी महाविद्यालय जो नव संबंधन हेतु पहली बार आवेदन कर रहे हों।
- 2. वैसे सभी महाविद्यालय जिनका प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2023—26 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऑन—लाईन प्राप्त हुआ है। परन्तु वह प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय, बिहार/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् प्राप्त होने अथवा उन प्रस्तावों में कुछ त्रुटि रहने अथवा अन्य कारणों से संबंधन की सहमति संसूचित नहीं किया जा सका है, उन महाविद्यालयों द्वारा भी आवेदन किया जायेगा।
- 3. सभी स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य/सचिव द्वारा भी अपने महाविद्यालय के बारे में पोर्टल पर जाकर सारी वस्तुस्थिति/सूचनाओं को दिनांक-30.10.2023 तक निश्चित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त सभी प्रक्रियाओं की मॉनेटरिंग के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की पूर्ण जवाबदेही होगी। ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार के तकनीकी पृच्छा के समाधान हेतु NIC की ओर से श्री सौरम कुमार के मो०न०-9304921027 ई-मेल आई०डी० cabiharhelp@gmail.com तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के तरफ से श्री के० गोविन्द राजू डाटा एनालिस्ट के मोबाईल नं० 9508912865 पर संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

रिखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा